जिलाधिकारी कार्यालय, पटना।

(गोपनीय शाखा)

आ दे श

COVID-19 **कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव** को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा **द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट,1897 (The Epidemic Diseases Act, 1897) की धारा–2** के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **Lockdown** करने का आदेश दिया गया है। प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1173/आ0प्र0 दिनांक 25.03.2020 द्वारा प्रतिवेदित है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–33–4/2020–NDM-0I दिनांक 14.03.2020 द्वारा COVID-19 Epidemic के फैलाव को **"अधिसूचित आपदा"** माना गया है एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण तथा रोकथाम हेतु आवश्यकतानुसार **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005** की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने हेतु निदेशित है।

विभिन्न माध्यमों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि इस आपदा के दौरान निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को एस0एम0एस0 या अन्य माध्यमों से संसूचित कर तीन माह का फीस एक साथ जमा करने हेतु दबाव दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में आकर किताब एवं कॉपी खरीदने हेतु संसूचित किये जाने की सूचना मिल रही है तथा परिवहन मद में भी राशि जमा करने का निर्देश दिया जा रहा है। अभिभावकों के द्वारा लॉकडाउन की स्थिति में फीस आदि जमा करने में असमर्थता व्यक्त की जा रही है तथा लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों/बच्चों के समक्ष ससमय फीस जमा करने की वास्तविक कठिनाई होने की भी सूचना दी जा रही है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में COVID-19 कोरोना वायरस के संक्रमण एवं फैलाव को देखते हुए वर्तमान में लागू लॉकडाउन के आलोक में निजी विद्यालय प्रबंधनों को निम्नांकित आदेश दिये जाते हैं :–

1. किसी भी परिस्थिति में तीन माह का Fee एक किस्त में जमा करने हेतु किसी भी अभिभावक को बाध्य नहीं किया जाय।
2. अभी मात्र एक माह का Tuition Fee ही जमा करने हेतु अभिभावकों से अनुरोध किया जाय।
3. Tuition Fee के अलावे अन्य प्रकार के Charges बाद में किस्त के रूप में वसूल किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
4. छात्रों के हित में Study materials Video/ PPT के रूप में अभिभावकों/छात्रों को WhatsApp/E-mail/School Website के माध्यम से उपलब्ध कराया जाय।
5. पाठ्य–पुस्तकों तथा अन्य आवश्यक पठन–पाठन सामग्री का Home-to-Home Delivery कराने की व्यवस्था की जाय। इस हेतु आवश्यक वाहन पास हेतु संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित किया जाय।
6. वर्तमान परिस्थिति में यदि कोई अभिभावक एक माह का Tuition Fee भी जमा करने में असमर्थ हैं तो उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाय तथा छात्र का नामांकन रद्द नहीं किया जाय। साथ ही ऐसे छात्रों को भी Study materials अन्य छात्रों की भांति उपलब्ध कराया जाय।

Scanned by CamScanner

7. विद्यालय प्रबंधन द्वारा इस अवधि में उनके संस्थान में कार्यरत कर्मियों का भुगतान नियमित रूप से Online करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायगी।

उपरोक्त के आलोक में पटना जिला में अवस्थित सभी निजी विद्यालय प्रबंधन को निदेशित है कि उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला को निदेशित है कि उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

ह०/-
जिलाधिकारी, पटना।

ज्ञापांक 3421 /गो0, पटना, दिनांक 10-04-2020

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशित है कि उक्त आदेश से सभी संबंधित निजी विद्यालय प्रबंधन को यथाशीघ्र अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि–व्यवस्था, पटना/नगर दण्डाधिकारी–सह–प्रभारी दण्डाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/4/20
जिलाधिकारी, पटना।

Scanned by CamScanner